

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर-208024
KALYANPUR, KANPUR-208024

Ref. No.: CSJMU/SC/ST CELL/408 /2013

Dated 17 /10/2013

सेवा में,

निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी

आवश्यक / समयबद्ध

विषय: शैक्षिक सत्र 2013-2014 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाईन डाटा फीडिंग किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के पिता/माता एवं विधिक अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख तक है, का शैक्षिक स्तर सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2013-14 में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत है-

1. दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2013 से 31.12.2013 तक केवल ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे ।
2. छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति सुगम संचालन हेतु अभ्यर्थियों/विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थियों के बैंक खाता विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में ही खोले जायें, जिनका आई0एफ0एस0सी0 कोड- यू0बी0आई0कोड-UBIN0534951, बी0ओ0बी0कोड-BARBOCSUKAN है ।
3. अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
4. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई त्रुटि न होने पाये । अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही छात्रवृत्ति प्राकेष्ठ द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।
5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन प्रेषित (submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके सन्तुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र submit करें ।
6. ऑन लाईन आवेदन करने पर अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः सृजित होगा जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र भरेगा एवं भविष्य में अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
7. अभ्यर्थी को ऑनलाईन submitted आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ निम्नोक्त अभिलेखों सहित आवेदन पत्र submit करने के 07 दिनों के अन्दर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में जमा करना होगा ।
 - (क) ऑनलाईन किया गया आवेदन पत्र फोटो एवं हस्ताक्षर सहित निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा इस आशय से अग्रसारित किया जायेगा कि अभ्यर्थी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र है ।
 - (ख) आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
 - (ग) जाति, निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं इन्टरनेट की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित ।
 - (घ) पिछले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सभी अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ ।
 - (च) यदि दो कक्षाओं के बीच समय अन्तराल हो तो तद्आशय का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित ।
 - (छ) विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया एवं बैंक ऑफ बडौदा में खोले गये खाता के पास बुक की छाया प्रति जिससे नाम एवं खाता संख्या प्रमाणित की जा सके ।
 - (ज) समस्त जमा शुल्क रसीद की छायाप्रति

- (झ) अभ्यर्थी के माता-पिता एवं विधिक अभिभावक द्वारा 10=00 रुपये के नान जूडिशियल स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र (शपथ पत्र का संलग्न नमूने के अनुरूप होना अनिवार्य है।)
- (ञ) यू0पी0टी0ए द्वारा प्रवेशित अभ्यर्थी को अपने कालेज अवंटित सम्बन्धी अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।
8. ऑनलाईन आवेदन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात वेबसाईट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई भी आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा ।
 9. अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपदीय कोषागार e-payment प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS से सीधे प्रेषित की जायेगी, जिससे पात्र विद्यार्थियों को सुगमता एवं शीघ्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी ।
 10. अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था है ।
 - (1) ऑनलाईन आवेदन submit करने पर ।
 - (2) शैक्षिक संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का विवरण सत्यापित करने पर ।
 - (3) जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत करने पर ।
 - (4) अभ्यर्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर ।
 11. शासन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि का सन्निकट आने का इन्तजार न किया जाय, निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व संस्थान का होगा कि कोई पात्र छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन करने से छूटने न पाये ।
 12. योजना की सम्पूर्ण जानकारी सभी आदेश-निर्देश वेबसाईट <http://scholarship.up.nic.in> पर उपलब्ध है ।
 13. छात्र/छात्रा को ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पडने पर विद्यार्थी के सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी ।
 14. आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्रारूप भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगा । उसी प्राप्ति रसीद पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ में समस्त अनुलग्नकों के साथ जमा किया जायेगा । आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उस पर छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ द्वारा सही का निशान किया जायेगा तथा हस्ताक्षर कर आवेदक को रसीद फाडकर दे देगा ।
 15. शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऑनलाईन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता एवं सुगम संचालन हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के निदेशक/ विभागाध्यक्ष / प्रभारियों को निर्देशित किया जाये कि अपने विभाग के सूचना पट एवं अधिकृत स्थानों पर चस्पा करें ।

प्रायः पाया गया है कि छात्र/छात्रायें सम्पूर्ण शुल्क भी जमा नहीं करते हैं और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र भी नहीं भरते हैं, ऐसी स्थिति में शुल्क सम्बन्धी समस्त जिम्मेदारी निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी की होगी ।

संलग्नक –यथोपरि ।

भवदीय

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी को अवलोकनार्थ ।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
3. समाज कल्याण अधिकारी अन्य पिछडा वर्ग ।
4. जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर ।
5. सिस्टम मैनेजर को इस आश से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें ।
6. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी ।
7. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव ।
8. आदेश पत्रावली ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

शपथ पत्र

सेवा में,

कुलसचिव

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,

कानपुर।

1. मैं शपथकर्ता.....पुत्र श्रीपता
.....का मूल
निवासी हूँ ।
2. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैंपुत्र श्री
सरकारी /अर्द्धसरकारी/उद्योग/व्यवसाय/कृषि कार्य करता हूँ/करती हूँ । (सेवारत संस्थान का पूर्ण पता)
3. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार की सभी श्रोतो से मासिक आय (शब्दों एवं अंको में) रू0.....
.....एवं वार्षिक आय (शब्दों एवं अंको में) रू0.....है।
4. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या
जिलाके तहसीलद्वारा निर्गत है, जो कि सही है ।
5. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्रीसंस्थान
.....छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में सत्र 2013-14की कक्षा
का अध्ययनरत छात्र/छात्रा है ।

शपथकर्ता घोषणा करता है कि क्रम संख्या 01 से 05 तक में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है ।
यदि विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की
भुगतान की गयी धनराशि ब्याज के साथ विश्वविद्यालय को वापस करने का वचन देता हूँ । साथ ही
विश्वविद्यालय गलत तथ्यों के आरोप में नियमानुसार दण्ड देने के लिए स्वतंत्र होगा ।

दिनांक

शपथकर्ता

हस्ताक्षर.....

नाम

पता

नोट— उपरोक्त शपथ पत्र रू0 10=00 के स्टाम्प पेपर पर छात्र/छात्र के पिता/माता अथवा दोनो के
जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया

समाज कल्याण विभाग, कानपुर नगर
शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति
एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य निर्देश

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹0 2.00 लाख तक है, का शैक्षिक स्तर को सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-

- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 1-10-2013 से 31-12-2013 तक केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थी को बेवसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर ऑन लाइन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई त्रुटि न होने पाये। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दिये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रेषित (submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके सन्तुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन पत्र submit करें।
- ऑन लाइन आवेदन करने पर अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः सृजित होगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना ऑन लाइन आवेदन पत्र भरेगा एवं भविष्य में अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- अभ्यर्थी को ऑन लाइन submitted आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियां सलग्न कर आवेदन पत्र submit करने के 07 दिन के अन्दर शिक्षण संस्थान में जमा करना आवश्यक होगा।
- ऑन लाइन आवेदन के लिये निर्धारित तिथि के पश्चात् बेवसाइट लॉक कर दी जायेगी। तथा उसके बाद कोई आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपद कोषागार से e-payment प्रक्रिया के तहत NEFT/RIGS से सीधे प्रेषित की जायेगी। जिससे पात्र छात्र/छात्राओं को सुगमता एवं शीघ्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी। अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था है।

1. ऑनलाइन आवेदन submit करने पर।
2. शैक्षिक संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का विवरण सत्यापित करने पर।
3. जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।
4. अभ्यर्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश-आवेदन पत्र, धनराशि, प्रेषण समय सारणी एवं अन्य जानकारी बेवसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट भी लिया जा सकता है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
कानपुर नगर